



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226570
CG-DL-E-13042021-226570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1450]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 1450]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

का.आ. 1561(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 13.07 से कि.मी. 49.381 (अपोजिट पुलिस स्टेशन जत) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविशनल ऑफिसर जत को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 13.07 से कि.मी. 49.381 (अपोजिट पुलिस स्टेशन जत) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सांगली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जत					
गांव का नाम: बिरनाळ					
1	289	निजी	एग्रीकल्चर	0.0267000(हेक्टेयर)	0.0267000
2	371	निजी	एग्रीकल्चर	0.1550000(हेक्टेयर)	0.1550000
3	372	निजी	एग्रीकल्चर	0.0203000(हेक्टेयर)	0.0203000
4	373	निजी	एग्रीकल्चर	0.0109000(हेक्टेयर)	0.0109000
5	374	निजी	एग्रीकल्चर	0.0210000(हेक्टेयर)	0.0210000
6	413	निजी	एग्रीकल्चर	0.0203000(हेक्टेयर)	0.0203000
7	415	निजी	एग्रीकल्चर	0.0038000(हेक्टेयर)	0.0038000
8	418	निजी	एग्रीकल्चर	0.0028000(हेक्टेयर)	0.0028000
9	518	निजी	एग्रीकल्चर	0.0933000(हेक्टेयर)	0.0933000
10	524	निजी	एग्रीकल्चर	0.0095000(हेक्टेयर)	0.0095000
11	543	निजी	एग्रीकल्चर	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
12	578	सरकारी	गायदान	0.0067000(हेक्टेयर)	0.0067000
13	579	निजी	एग्रीकल्चर	0.0119000(हेक्टेयर)	0.0119000

गांव का नाम: कुंभारी					
1	364	निजी	एग्रीकल्चर	0.0147000(हेक्टेयर)	0.0147000
2	827	निजी	एग्रीकल्चर	0.1285000(हेक्टेयर)	0.1285000
3	828	निजी	एग्रीकल्चर	0.0156000(हेक्टेयर)	0.0156000
4	854	निजी	एग्रीकल्चर	0.0921000(हेक्टेयर)	0.0921000
5	855	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
6	872	निजी	एग्रीकल्चर	0.2707000(हेक्टेयर)	0.2707000
7	954	निजी	एग्रीकल्चर	0.0014000(हेक्टेयर)	0.0014000
8	955	निजी	एग्रीकल्चर	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
9	956	निजी	एग्रीकल्चर	0.0259000(हेक्टेयर)	0.0259000
गांव का नाम: मुचंडी					
1	322	सरकारी	मुलुकपड	0.6264000(हेक्टेयर)	0.6264000
2	323	निजी	एग्रीकल्चर	0.3950000(हेक्टेयर)	0.3950000
3	325	निजी	एग्रीकल्चर	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
4	326	सरकारी	गायरान	0.2252000(हेक्टेयर)	0.2252000
5	350	निजी	एग्रीकल्चर	0.1638000(हेक्टेयर)	0.1638000
6	353	निजी	एग्रीकल्चर	0.3800000(हेक्टेयर)	0.3800000
7	355	निजी	एग्रीकल्चर	0.7400000(हेक्टेयर)	0.7400000
8	356	निजी	एग्रीकल्चर	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
9	36/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
10	441	निजी	एग्रीकल्चर	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
11	442	निजी	एग्रीकल्चर	0.0407000(हेक्टेयर)	0.0407000

12	463	निजी	एग्रीकल्चर	0.1842000(हेक्टेयर)	0.1842000
13	466	निजी	एग्रीकल्चर	0.0648000(हेक्टेयर)	0.0648000
14	468	निजी	एग्रीकल्चर	0.0157000(हेक्टेयर)	0.0157000
15	470	निजी	एग्रीकल्चर	0.3323000(हेक्टेयर)	0.3323000
कुल				4.5387	4.5387

[फा. सं. 12037/66/2017-MAH-P6/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2021

S.O. 1561(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH166E in the stretch of land from Km. 13.07 to Km. 49.381 (Opposite Police Station Jath) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Jat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH166E in the stretch of land from Km. 13.07 to Km. 49.381 (Opposite Police Station Jath) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: SANGLI			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Jath					
Village: Birnal					
1	289	Private	Agriculture	0.0267000(Hectare)	0.0267000
2	371	Private	Agriculture	0.1550000(Hectare)	0.1550000
3	372	Private	Agriculture	0.0203000(Hectare)	0.0203000
4	373	Private	Agriculture	0.0109000(Hectare)	0.0109000

5	374	Private	Agriculture	0.0210000(Hectare)	0.0210000
6	413	Private	Agriculture	0.0203000(Hectare)	0.0203000
7	415	Private	Agriculture	0.0038000(Hectare)	0.0038000
8	418	Private	Agriculture	0.0028000(Hectare)	0.0028000
9	518	Private	Agriculture	0.0933000(Hectare)	0.0933000
10	524	Private	Agriculture	0.0095000(Hectare)	0.0095000
11	543	Private	Agriculture	0.0120000(Hectare)	0.0120000
12	578	Government	Gayraan	0.0067000(Hectare)	0.0067000
13	579	Private	Agriculture	0.0119000(Hectare)	0.0119000
Village: Kumbhari					
1	364	Private	Agriculture	0.0147000(Hectare)	0.0147000
2	827	Private	Agriculture	0.1285000(Hectare)	0.1285000
3	828	Private	Agriculture	0.0156000(Hectare)	0.0156000
4	854	Private	Agriculture	0.0921000(Hectare)	0.0921000
5	855	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
6	872	Private	Agriculture	0.2707000(Hectare)	0.2707000
7	954	Private	Agriculture	0.0014000(Hectare)	0.0014000
8	955	Private	Agriculture	0.0050000(Hectare)	0.0050000
9	956	Private	Agriculture	0.0259000(Hectare)	0.0259000
Village: Muchandi					
1	322	Government	Mulukpad	0.6264000(Hectare)	0.6264000
2	323	Private	Agriculture	0.3950000(Hectare)	0.3950000
3	325	Private	Agriculture	0.1700000(Hectare)	0.1700000
4	326	Government	Gayraan	0.2252000(Hectare)	0.2252000
5	350	Private	Agriculture	0.1638000(Hectare)	0.1638000
6	353	Private	Agriculture	0.3800000(Hectare)	0.3800000
7	355	Private	Agriculture	0.7400000(Hectare)	0.7400000
8	356	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
9	36/1	Private	Agriculture	0.1500000(Hectare)	0.1500000
10	441	Private	Agriculture	0.0800000(Hectare)	0.0800000
11	442	Private	Agriculture	0.0407000(Hectare)	0.0407000
12	463	Private	Agriculture	0.1842000(Hectare)	0.1842000
13	466	Private	Agriculture	0.0648000(Hectare)	0.0648000
14	468	Private	Agriculture	0.0157000(Hectare)	0.0157000
15	470	Private	Agriculture	0.3323000(Hectare)	0.3323000
Total				4.5387	4.5387

[F. No. 12037/66/2017-MAH-P6/3A]

RAJESH GUPTA, Director